DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

## राजस्थान सरकार
## सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः–प.2(7369)डीओआईटी / संस्था / 18 / ML-3690 जयपुर, दिनांक 11-04-2018

### कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों को जिन्होने अपने पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि नियमानुसार निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली हैं, को इस विभाग के विभिन्न वेतन स्थिरीकरण आदेशो के द्वारा वेतन आहरण किये जाने की दिनांक से नियमितिकरण के आदेश जारी किये गये थे।

उक्त कार्मिकों के वेतन स्थिरीकरण आदेशों में राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992(संशोधित नियम) के नियम 35, 38 एवं 38 (ग) के अन्तर्गत उल्लेखित प्रावधानान्तर्गत **नियमितिकरण** के साथ ही नियमितिकरण की दिनांक से **स्थाईकरण** की भी एतद् द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है।

**उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)
**तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित कर्मचारी।
4. संबंधित निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

**तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव**